सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 03/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. देवकरण पुत्र गोकल जाति जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र गोकुल
2. करतार पुत्र गोकुल
3. मांगीलाल पुत्र भैरू
4. रामरतन पुत्र गोरधन
5. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
6. दयाल पुत्र मकना
7. गोपाल पुत्र हरलाल
8. बंजरग पुत्र मकना
9. छीतर पुत्र भैरू
   समस्त जाति जाट निवासीगण काली तलाई का खेडा तहसील केकडी
10. दुर्गालाल पुत्र नारणा जाति रेगर
11. शरीफ पुत्र नामालूम जाति मुसलमान
    समस्त निवासीगण कालीतलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

12. जयनारायण पुत्र नामालूम जाति मीणा निवासी नयागावं तहसील केकडी
13. तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय **दिनांकः–14.05.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा कालीतलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 43 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 315, 358, 407, 475, 476, 477, 478, 481, 686, 704, 729,कुल किता 11 कुल रकबा 9.34 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी स. 1 व 2 को छोडकर अन्य का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। प्रतिवादी स. 13 लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन ने पावर पेश किया एवं प्रतिवादीस. 3 – 5 ,7,8,10,11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली में 6,9,12 की वास्ते तलबी अपेक्षित होने संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है ।

वादग्रस्त आराजी में पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि के खाता नम्बर 43 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 315, 358, 407, 475, 476, 477, 478, 481, 686, 704, 729,कुल किता 11 कुल रकबा 9.34 है. उक्त वादग्रस्त भूमि वादी देवकरण एवं प्रतिवादी स. 1 सूरजकरण एंव प्रतिवादी स. 2 करतार की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी उक्त शामलाती भूमि में अपना हिस्सा 1/3 की पत्थरगढी करवाना चाहता है जो बाद बंटवारा ही संभव है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । तहसीलदार एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी 1 व 2 की सह खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना नहीं पाया जाता है। अतः वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर नहीं होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा कालीतलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 43 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 315, 358, 407, 475, 476, 477, 478, 481, 686, 704, 729, कुल किता 11 कुल रकबा 9.34 है. की पत्थरगढी हेतु वादी का दावा वादी एंव प्रतिवादी 1 व 2 की सह खातेदारी होने से एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 14.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी